

२५/७/२५ परावली पेशी में ली गई,  
उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी द्वारा  
अपने प्रार्थना पत्र में जो मुमकिन  
स्वाले का अंकन करने व उसकी  
जगह जो मुमकिन रास्ते का  
अंकन किये जाने का अनुरोध  
द्वारा २५।A RTA में याचित किया  
है जो अन्तर्गत द्वारा २५।A  
RTA के प्रावधानों के अन्तर्गत  
नहीं है अतः प्रार्थना पत्र द्वारा  
२५।A के प्रावधानान्तर्गत नहीं होने  
के कारण खारिज किया जाता है।  
प्रार्थी स्वयं व सुषंगत चाराओं में  
प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए  
स्वतंत्र रहेंगे। आदेश सुनाया -

गया *harpur*

सहायक कलेक्टर  
उपखण्डाधिकारी  
मुमानगढ़